

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-20112020-223198
SG-DL-E-20112020-223198

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2020/कार्तिक 28, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 200
No. 252]	DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2020/KARTIKA 28, 1942	[N. C. T. D. No. 200

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

संख्या 39/2019-राज्य कर

सं. फा. 03(58)/वित्त (राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/162.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2019 (2019 का दिल्ली अधिनियम 06) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 सितंबर, 2019 को उस तारीख के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 13 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनोज कुमार, उप सचिव-IV (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 19th November, 2020

No 39/2019- State Tax

No. F. 3(58)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/162.—In exercise of the powers conferred by sub-section (ii) of section 1 of the Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019 (Delhi Act 06 of 2019), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints the 1st day of September, 2019, as the date on which the provisions of section 13 the said Act, shall come into force.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy.-IV (Finance)